COURSE NAME – B.Ed. – 1st year SESSION – 21-23

SUBJECT - C-02

TOPIC NAME – वर्धा शिक्षा / बेसिक / बुनियादी तालीम

DATE - 21 01-22

## वर्धा शिक्षा / बेसिक / बुनियादी तालीम
## बुनियादी शिक्षा

PAGE NO.
DATE :

गाँधीजी ने भारतवासियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की नवीन योजना प्रस्तुत की थी और तत्कालीन शिक्षा प्रणाली की कटु आलोचना करते हुए कहा था "यह विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया है इसका एक मात्र उद्देश्य मानसिक विकास करना है। इसका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें हाथों के कार्य का कोई स्थान नहीं है। इसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और वास्तविक शिक्षा विदेशी माध्यम द्वारा असम्भव है।"

22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में देश की तत्कालीन परिस्थितियों एवं नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप गाँधी जी ने अपने शिक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किये तथा इनके विचारों पर शिक्षाविदों एवं विद्वानों ने विचार विमर्श किया उसके उपरान्त निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये थे।

PAGE NO.
DATE :

1. सात वर्ष के सभी बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए।
2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।
3. हस्तशिल्प पर आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए
4. इस पद्धति से धीरे-धीरे शिक्षक का वेतन व्यय निकल जाने की आशा की जानी चाहिए।
5. शिल्प का चयन बच्चों की क्षमता एवं स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर हो।

1. बालकों द्वारा निर्मित वस्तुओं से विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना।
2. बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक एवं बालिका को व्यवसाय में स्वावलम्बी बनाना।
3. बालक का नैतिक विकास करना।
4. बालक को भारतीय संस्कृति के अनुरूप ढालना।
5. बालकों में प्रजातांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास करना।

# बेसिक शिक्षा के सिद्धान्त

PAGE NO.
DATE :

गाँधीजी ने बेसिक शिक्षा के मूल सिद्धान्तों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था।

"हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बुनियादी तालीम देश के वातावरण में से पैदा हुई है और देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यह वातावरण को पूरा कर सकती है। यह वातावरण भारत के सात लाख गाँवों में और उनमें रहने वाले करोड़ो लोगों में छाया हुआ है, उनको भूलाकर आप भारत को भी भूल जायेंगे। सच्चा भारत नगरों में नहीं बल्कि इन सात लाख गाँवों में बसा हुआ है।"

बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धान्त निम्न हैं

1. शारीरिक श्रम का सिद्धान्त (Physical Labour)
2. शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धान्त
3. मातृभाषा द्वारा शिक्षण का सिद्धान्त
4. बाल केन्द्रित शिक्षण का सिद्धान्त
5. सर्वांगीण विकास का सिद्धान्त
6. निःशुल्क शिक्षा का सिद्धान्त
7. हस्तशिल्प का प्रशिक्षण का सिद्धान्त
8. परस्पर सहयोग से रहने का प्रशिक्षण का सिद्धान्त (बालक का समाजीकरण होता है)

PAGE NO.
DATE :

# पाठ्यक्रम Curriculam

| बुनियादी शिल्प कार्य Basic crafts | शिक्षण विषय Educational subject |
|---|---|
| 1 कृषि | 1. मातृभाषा |
| 2 कताई बुनाई | 2. गणित (नाप तौल) अंकगणित, बीजगणित रेखागणित |
| 3 बागवानी | |
| 4 काष्ठ कला | |
| 5. चर्म कार्य | 3. सामाजिक विषय (इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र |
| 6 पुस्तक कला) | |
| 7 मिट्टी का कार्य | 4. सामान्य विज्ञान (प्रकृति निरीक्षण बागवानी वनस्पति विज्ञान |
| 8 मधुमक्खी पालन | |
| 9 फल संरक्षण) | प्राणी विज्ञान, रसायन वि॰ |
| 10 अन्य स्थानीय हस्तकला | गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान |
| | 5. स्वास्थ्य विज्ञान (सफाई, व्यायाम खेलकूद |
| | 6. आचरण शिक्षा (नैतिक राष्ट्रीय पर्व समाज सेवा) |
| | 7. संगीत (8) चित्रकला |

अवधि — 7 वर्षीय (प्राथमिक शिक्षा)

आयुवर्ग — 7 - 14 वर्ष

बेसिक शिक्षा में कक्षा - 5 तक बालक एवं बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम एवं सह- शिक्षा की व्यवस्था थी।

शिक्षण विधियाँ

वर्धा शिक्षा योजना में पाठ्य पुस्तक विधि के स्थान पर परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड को अपनाया गया था।

क्रिया द्वारा सीखना (Learning by doing)

1 मिट्टी के खिलौने लकड़ी की वस्तुओं का निर्माण कृषि कार्य इत्यादि क्रियाओं द्वारा छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जाता है।

2 अनुभव द्वारा सीखना → Learning by experience.

इस विधि में बालक अन्य छात्रों के साथ मिलजुलकर क्रिया करके अनुभव द्वारा सीखता है।

3 आत्माभिव्यक्ति द्वारा सीखना - इसमें छात्रों को स्वतंत्र रूप से आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं जिससे छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है।

जैसे- नाटक में भाग लेना।
खेलों में भाग लेना।

## विशेषताएँ (गुण)

निम्नलिखित विशेषताएँ हैं।

(1) यह बालकेन्द्रित शिक्षा है।
(2) 7-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा
(3) वर्गभेद की समाप्ति
(4) क्रियाप्रधान शिक्षण विधि
(5) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा
(6) छात्रों में आत्मनिर्भरता की उत्पत्ति में सहायक
7 आर्थिक सम्पन्नता प्रदान करने में सहायक
8 छात्रों के नैतिक व चारित्रिक विकास में सहायक
9 व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सैद्धान्तिक विषयों व विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने में सहायक।

## दोष —

(1) यह योजना विशेष रूप से ग्रामों के लिए है न कि नगरों के लिए।
(2) इस योजना में उत्पादकता सिद्धान्त को ज्यादा महत्व है अतः इसको अनुकरण करने से बेसिक विद्यालय कुटीर उद्योग में परिणत हो जायेंगी
3 आधारभूत शिल्प के माध्यम से समस्त विषयों की शिक्षा दिया जाना संभव नहीं है।

4 केवल प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सम्बन्ध पर कोई सुझाव नहीं दिया गया

5 परम्परागत (धार्मिक) विषयों की उपेक्षा की गई।

6 इस योजना में आधुनिक विज्ञान तकनीकी व उद्योगों की शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

7 इस योजना में छात्र छात्राओं को स्वअध्याय का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है।

# स्वतंत्रता पश्चात भारत में शिक्षा

PAGE NO.
DATE :

सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय वि॰ वि॰ और सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की सं॰ में वृद्धि हुई परन्तु उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई थी इससे भारतीय जनता असंतुष्ट थी क्योंकि यह देश की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल थी वि॰वि॰ शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य छात्रों द्वारा परीक्षाएँ उत्तीर्ण करके उपाधियां प्राप्त करना रह गया था। अतः इन्हीं दोषों का निराकरण करने और स्वतंत्र भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिए अन्तर्विश्वविद्यालय परिषद और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् ने एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रखा था। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके 4 नवम्बर 1948 को वि॰ वि॰ शिक्षा आयोग की नियुक्ति डा॰ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की थी। इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है।

आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य

भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन सुधारों और विस्तारों के विषय में सुझाव देना जो देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हो।

आयोग का प्रतिवेदन

आयोग ने देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर अपना प्रतिवेदन 25 अगस्त 1944 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जो दो खण्डों में था प्रथम खण्ड में 18 अध्यायों एवं 543 पृष्ठों और दूसरा खण्ड में 1356 पृष्ठ हैं।

आयोग की संस्तुतियां एवं सुझाव –

आयोग ने विश्वि० शिक्षा में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव एवं संस्तुतियां प्रस्तुत की।

वि वि० शिक्षा के उद्देश्य

वि० वि० शिक्षा को ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो राजनीति प्रशासन व्यवसाय उद्योग और वाणिज्य क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके।

2 इस शिक्षा द्वारा छात्रों में ऐसे गुणों
1 का विकास किया जाना चाहिए
जिससे वे भविष्य में उत्तम नागरिक
बन सकें।

3 विश्वविद्यालयों को दूरदर्शी बुद्धिमान
और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों
को उत्पन्न करना चाहिए जो
समाज सुधार के कार्य में योग
दे सके।

4 वि० वि० को अपने छात्रों के मानसिक
एवं शारीरिक विकास दोनों पर
ध्यान देना चाहिए।

5 वि०वि० शिक्षा द्वारा छात्रों में विश्व
बन्धुत्व की भावना का विकास
किया जाना चाहिए।

6 वि वि० शिक्षा का मुख्य कार्य
छात्रों का चारित्रिक उत्थान करना
होना चाहिए।

## शिक्षक वर्ग

आयोग ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की स्थिति में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव एवं संस्तुतियाँ दी हैं।

1. शिक्षक का महत्व एवं उत्तरदायित्व

PAGE NO.
DATE :

समान होना चाहिए।

2 शिक्षकों के चार वर्ग हो (1) प्रोफेसर (2) रीडर (3) लेक्चरर (4) इन्स्ट्रक्टर जूनियरपद

3 प्रत्येक शिक्षक को भविष्यनिधि की सुविधा दी जानी चाहिए।

(4) सेवा-निवृत्ति का आयु सामान्यतया 60 वर्ष होनी चाहिए।

(5) शिक्षकों को एक सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटे का शिक्षण कार्य दिया जाना चाहिए।

(6) नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया जाना चाहिए।

## शिक्षण का स्तर

1) वि० वि० कोर्स के लिए प्रवेश का स्तर वर्तमान इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष होना चाहिए।

2 प्रत्येक प्रांत में कॉलेजों की अधिक सं० में स्थापना होनी चाहिए।

(3) 10 से 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा समाप्ति पर छात्रों को विभिन्न व्यवसायों में स्थानान्तरित करने के लिए व्यावसायिक संस्थान अधिक संख्या में खोले जाने चाहिए।

4. वि० वि० एवं कॉलेजों में छात्रों के भीड़ को रोकने के लिए कला एवं विज्ञान संकायों में छात्रों की सं० निर्धारित की जानी चाहिए।

PAGE NO.
DATE :

5 परीक्षा के दिवसों को छोड़कर 180 दिनों की कार्य की सं० में वृद्धि की जानी चाहिए

6 पूर्व स्नातक छात्रों के लिए व्याख्यानों में उपस्थिति अनिवार्य हो।

## अध्ययन की विषयवस्तु

1 कला एवं विज्ञान में उन्हीं छात्रों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो 12 वर्ष तक या इसके समकक्ष किसी अन्य संस्था में सफलता पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर चुके हो।

2 स्नातक उपाधि के लिए अध्ययन की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए।

3 स्नातकोत्तर उपाधि के लिए छात्रों को अध्ययन की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए

4 छात्र की रुचियों को ध्यान में रखकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए सामान्य और विशिष्ट शिक्षा में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

## शिक्षा का माध्यम

(1) उच्च शिक्षा के शिक्षण के माध्यम के लिए व्यावहारिक रूप से किसी भारतीय भाषा को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

2 संघीय भाषा के लिए एक लिपि देवनागरी प्रयोग की जानी चाहिए।

3. उच्च शिक्षा प्रादेशिक भाषा के रूप में।

# व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा निम्नलिखित है —
(1) कृषि (2) वाणिज्य (3) इन्जीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी (4) कानून (5) चिकित्सा शिक्षा (6) धार्मिक शिक्षा

## परीक्षाएँ

(1) 70% प्रथम श्रेणी के लिए 55-64 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी के लिए 40% अंक तृतीय श्रेणी के लिए।
(2) मौखिक परीक्षाएँ केवल स्नातकोत्तर और व्यावसायिक उपाधियों के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए।

## स्त्री शिक्षा

(1) स्त्रियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए।
(2) महिला छात्राओं की समाज में अपना सामान्य नागरिक और महिला दोनों रूपों में देखने के लिए तैयार करने में सहायता की जानी चाहिए।
3 महिला शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए।
4 शैक्षिक परामर्श और उदाहरणों द्वारा गृह अर्थशास्त्र एवं गृह प्रबन्ध के अध्ययन के विरुद्ध वर्तमान विद्वेष को दूर किया जाना चाहिए।

## विशेषताएँ गुण

आयोग के सुझावो एवं संस्तुतियो की निम्नलिखित विशेषताएं हैं—

1. आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए श्रेष्ठतम उद्देश्यों का निर्धारण किया था जो स्वतंत्र भारत की सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक एवं प्रजातांत्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे।
2. आयोग ने शिक्षकों के महत्व एवं उत्तरदायित्व शिक्षकों की स्थिति में सुधार एवं वेतन आदि के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव एवं संस्तुतियां देकर शिक्षकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया
3. विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की
4. वि० वि० शिक्षा स्तर को उन्नत करने का प्रयास किया।
5. आयोग ने भारतीय भाषाओं और संघीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप स्वीकार करके भाषा समस्या के समाधान हेतु सार्थक प्रयास।
6. स्त्री शिक्षा के विकास के लिए सह शिक्षा पर बल।

## दोष

1) आयोग द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य यथार्थता से परे है। ये उद्देश्य इतने जटिल एवं व्यापक हैं जिनकी प्राप्ति असंभव है।

PAGE NO.
DATE :

2 आयोग ने शिक्षकों के वेतन कार्य और सेवा के संबंध में जो सुझाव प्रस्तुत की है इससे शिक्षकों को विशेष लाभ नहीं हुआ।

3 आयोग ने वि० वि० शिक्षा के उन्नयन के लिए उपयोगी सुझाव दिये परन्तु उनके क्रियान्वयन में धन की कमी ने उनकी उपयोगिता को नष्ट कर दिया।

4 धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग द्वारा सुझाव अस्पष्ट है।